

जलांश

खंड 5 अंक 02 सितंबर 2022

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



डॉ.आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष



संदेश

सबसे पहले, मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब भारत "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है, मुझे जलांश के इस अंक के माध्यम से आप सभी को शुभकामनाएं देने का अवसर मिला है।

12 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक 25.08.2022 को हुई, हालांकि जेआर के ढांचे के तहत तकनीकी बातचीत बीच की अवधि में भी जारी रही। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री ज़हीद फारूक, राज्य जल संसाधन मंत्री ने किया। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें से 7 नदियों को पहले ही प्राथमिकता के आधार पर जल बंटवारा समझौते की रूपरेखा विकसित करने के लिए पहचाना जा चुका है। बैठक के दौरान, डेटा विनिमय के लिए 8 और नदियों को शामिल करके चल रहे सहयोग के इस क्षेत्र को व्यापक बनाने पर सहमति हुई है।

विषयसूची

- कावेरी डेल्टा परियोजना 2 में वेन्नार सब बेसिन में जलवायु अनुकूलन शीर्षक वाली प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए बैठक
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की पहली बैठक
- आईआईटी रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र (अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग) की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए बैठक
- वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति की 54वीं बैठक
- पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए बैठक
- मध्य प्रदेश के करम बांध के टूटने के संबंध में माननीय मंत्री (जलशक्ति) की अध्यक्षता में बैठक हुई
- कोशी नदी में प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बांध पर उत्तराखंड जल विद्युत परियोजनाओं और निचले
- अरुण जल विद्युत परियोजना, नेपाल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के प्रभाव के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक
- भारत और बांग्लादेश का 38वां मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग
- सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पर बिहार, झारखंड और यूपी राज्यों के बीच लंबित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए बैठक
- +41.15 मी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना के लाभ और अन्य संबंधित मामलों के मूल्यांकन पर प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक
- जल संसाधन पर स्थायी समिति के दौरे के संदर्भ में वड़ोदरा-केवड़िया-दमन-मुंबई का दौरा
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की दूसरी बैठक
- मुल्ला पेरियार बांध पर पर्यवेक्षी समिति की अंतरिम बैठक
- "सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के अनुमान के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं" कार्य के लिए टीएआरसी की 12वीं बैठक
- माननीय जल शक्ति मंत्री के कार्यालय को बांध की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्ट
- बांधों के निरीक्षण पर साप्ताहिक रिपोर्ट
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 के तहत मसौदा नियम/विनियम बनाने के लिए उप-समिति की बैठकें
- देश में बाढ़ की स्थिति-अगस्त 2022
- 31.08.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- जलाशय निगरानी
- जल क्षेत्र-समाचार
- गैलरी/स्वतंत्रता दिवस
- इतिहास- गिरना परियोजना

डॉ.आर.के. गुप्ता

कावेरी डेल्टा परियोजना-2 में वेन्नार सब बेसिन में जलवायु अनुकूलन शीर्षक वाली प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए बैठक

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) जिसका शीर्षक "कावेरी डेल्टा परियोजना-2 में वेन्नार सब बेसिन में जलवायु अनुकूलन" है, की राशि 1825 करोड़ है, जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के डीईए पोर्टल में प्रस्तुत किया गया था।

इस परियोजना का उद्देश्य वेन्नार सब-बेसिन के अंतर्गत आने वाले तमिलनाडु के तंजावुर, नागापट्टिनम और तिरुवरूर जिलों में सिंचाई का जलवायु अनुसार लचीलापन और बाढ़ प्रबंधन अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सुधार करना है।

जल विज्ञान, तटीय प्रबंधन, सिंचाई योजना और अंतर-राज्य दृष्टिकोण के संदर्भ में के.ज.आ. में प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) की जांच की गई। के.ज.आ. ने सुझाव दिया कि पीपीआर की जांच कावेरी जल प्रबंधन

प्राधिकरण (का.ज.प्र.प्रा.) द्वारा भी की जा सकती है। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार का विचार था कि परियोजना को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के विचारों/ टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रस्ताव न तो सिंचाई के किसी अतिरिक्त क्षेत्र का दावा करता है और न ही किसी नए भंडारण ढांचे का प्रस्ताव करता है।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पीपीआर की जांच पर कदम उठाने के लिए, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 01.08.2022 को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि के.ज.आ. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आगे की परीक्षा के लिए प्रस्तावित परियोजना का एक पृष्ठभूमि नोट तैयार करेगा। तदनुसार, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को एक पृष्ठभूमि नोट प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की पहली बैठक

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की पहली बैठक डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, एनसीडीएस और के.ज.आ. की अध्यक्षता में 02.08.2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में श्री जे चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर) और एनसीडीएस के सभी सदस्यों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों को कार्यसूची के अनुसार सभी राज्यों में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक का एजेंडा और कार्यवृत्त के.ज.आ. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



आईडब्ल्यूसीआईएमएस परियोजना की समीक्षा के लिए एमओजेएस के सलाहकार की अध्यक्षता में आईटी परिनियोजन समिति, एकीकृत जल व फसल सूचना और प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूसीआईएमएस) की सलाहकार तथा निगरानी समिति की समीक्षा बैठक

श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ ने आईटी परिनियोजन सलाहकार समिति, एकीकृत जल व फसल सूचना और प्रबंधन प्रणाली सलाहकार तथा निगरानी समिति और केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक में भाग लिया, जो जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार की अध्यक्षता में 18.08.2022 को आयोजित की गई थी।

अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) और एसडब्ल्यूआईसी की स्थापना में हुई प्रगति की जानकारी समिति के सदस्यों को दी गई। सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ ने एकीकृत जल और फसल सूचना और प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूसीआईएमएस) के संबंध में विभिन्न सुझाव व्यक्त किए।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की दूसरी बैठक

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की दूसरी बैठक 25 अगस्त 2022 को सेवा भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य, डी एंड आर, के.ज.आ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण कार्यालय के सुचारू कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।



मध्य प्रदेश के करम बांध के टूटने के संबंध में माननीय मंत्री (जलशक्ति) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

मध्य प्रदेश के करम बांध के टूटने के संबंध में माननीय मंत्री (जलशक्ति) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ. और श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने बैठक में भाग लिया। मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), श्री विवेक त्रिपाठी ने परिस्थितियों को संभालने के लिए के.ज.आ और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों और घटनाओं के बारे में एक प्रस्तुति दी।

मध्य प्रदेश के करम बांध के टूटने संबंधी विवरण

करम बांध मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में धार जिले की धरमपुरी तहसील में कोठीडा गांव के पास, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी करम पर स्थित एक निर्माणाधीन परियोजना है। यह एक समग्र बांध है जिसकी लंबाई 590 मीटर और ऊंचाई 52 मीटर है।

11.08.2022 को, जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान, बांध के मृदा भाग में पाइपन (बांध से मिट्टी के कणों के साथ पानी का बाहर निकलना) देखा गया। 12.08.2022 को, मृदा बांध के अनुप्रवाह हिस्से में ढलान की विफलता हुई, जो अंततः बांध की विफलता और अनुप्रवाह गांवों में अनियंत्रित बाढ़ का कारण बन सकती थी। सूचना



Fig.1- Downstream Slope Failure

मिलने के बाद केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के अधिकारी दिनांक 13.08.2022 को बांध स्थल पर पहुंचे। विभिन्न विकल्पों की खोज की गई और अंत में बांध के दाईं ओर एक चैनल बनाकर सुरक्षित पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। अपनाए गए विकल्प ने अच्छा काम किया और 14.08.2022 को बिना किसी जनहानि के रुके हुए पानी को छोड़ दिया गया।

कोशी नदी में प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बांध पर उत्तराखंड जल विद्युत परियोजनाओं और निचले अरुण जल विद्युत परियोजना, नेपाल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के प्रभाव के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक।

डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर (सदस्य, डी एंड आर) और श्री एस के सिब्बल, सीई, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) ने एनएमसीजी के साथ कोसी नदी में प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बांध पर उत्तराखंड एचई परियोजनाओं और निचले अरुण एचईपी नेपाल के डीपीआर के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए 24.08.2022 को श्रम

शक्ति भवन में माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा उनके कक्ष में ली गई बैठक में भाग लिया।

के.ज.आ. ने उत्तराखंड में गंगा बेसिन में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर एक प्रस्तुति दी और 10 एचईपीएस के कार्यान्वयन पर के.ज.आ. के विचारों से अवगत कराया गया।

भारत और बांग्लादेश का 38वां मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग

भारत और बांग्लादेश के मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक 25.08.2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री श्री ज़ाहिद फारूक ने किया। जल संसाधन उप मंत्री श्री एकेएम इनामुल हक शमीम भी बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित की गई थी, हालांकि बीच की अवधि में संयुक्त नदी आयोग के ढांचे के तहत तकनीकी बातचीत जारी रही। बैठक से पहले 23.08.2022 को जल संसाधन सचिव-स्तरीय बातचीत हुई थी।

इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान आपसी हित को लेकर चल रहे कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सामान्य नदियों के नदी जल बंटवारे, बाढ़ के आंकड़ों को साझा करना, नदी प्रदूषण को संबोधित करना, अवसादन प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन करना, नदी तट संरक्षण कार्य आदि शामिल हैं। दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने इस विषय पर अक्टूबर 2019 के भारत-बांग्लादेश समझौता

ज्ञापन के अनुसार त्रिपुरा के सबरूम शहर के पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनी नदी पर जल ग्रहण बिंदु के डिजाइन और स्थान को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया।

सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक वास्तविक समय बाढ़ डाटा साझा करना है, जिसमें भारत बांग्लादेश की सहायता कर रहा है। भारत ने हाल ही में बाढ़ डेटा साझा करने की अवधि 15 अक्टूबर से आगे बढ़ा दी है ताकि बांग्लादेश को अप्रत्याशित बाढ़ की घटनाओं से निपटने में मदद मिल सके।

भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें से 7 नदियों को प्राथमिकता से जल साझाकरण समझौतों के ढांचे के विकास के लिए पहले चिन्हित किया जा चुका है। बैठक के दौरान, डेटा आदान-प्रदान करने के लिए 8 और नदियों को शामिल करके चल रहे सहयोग के इस क्षेत्र को व्यापक बनाने पर सहमति हुई है। संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी स्तर की समिति में इस मामले पर आगे चर्चा की जाएगी।

भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में मुख्य/सीमांत/सीमा पार की नदियों पर पारस्परिक हित के मुद्दों को हल करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था।

सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पर बिहार, झारखंड और यूपी राज्यों के बीच लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने के लिए बैठक।

दिनांक 31.08.2022 को के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री आर. के. गुप्ता की अध्यक्षता में इंद्रपुरी जलाशय योजना, बिहार के मुद्दों को हल करने के लिए एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार सरकार, झारखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का पीपीआर क्रमशः आरएल 169 मीटर और आरएल 171 मीटर के एफआरएल और एमडब्ल्यूएल के साथ तैयार किया गया है, जैसा कि वर्ष 2016 में आयोजित परियोजना के संबंध में अंतर-राज्यीय बैठक में तय किया गया था। विस्तृत चर्चा के बाद, के.ज.आ. के अध्यक्ष ने पार्टी राज्यों को इस मुद्दे को हल करने की दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी:

- बिहार सरकार पश्चजल/ प्रवाह के लिए मॉडल अध्ययन करवा सकती है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझा कर सकती है।
- बिहार सरकार नवीनतम उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार निमग्नता

25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग की 75वीं IEC बैठक के लिए विशाखापत्तनम का दूसरा दौरा

नवंबर, 2023 में विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग की 75वीं आईसीसी बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति, 25वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग कांग्रेस और 75वीं आईसीसी की मेजबानी कर रहा है और इन कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग और आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के सहयोगात्मक प्रयासों से किया जा रहा है।

इस संबंध में, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव और के.ज.आ. / भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और डॉ. के. येला रेड्डी, माननीय। वाइस प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग ने 8-10 मार्च, 2022 के दौरान विजाग में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं को देखने/आकलन करने के लिए विशाखापत्तनम का पहला दौरा किया था। उपलब्ध सुविधाओं की रेकी करने और आयोजन के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के पक्ष और विपक्ष पर विस्तृत चर्चा के बाद, होटल रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल पाया गया।

विशाखापत्तनम का दूसरा दौरा यात्रा 9-11 अगस्त, 2022 के दौरान सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. तथा भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति, के.ज.आ., वैपकोस, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग और आचार्य एन जी रंगा



के कारण मुआवजे के लिए प्रस्ताव तैयार कर सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझा कर सकती है।

iii. पूर्व में गठित बिहार और झारखंड की संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) पूर्ववर्ती बिहार को आवंटित 7.75 एमएएफ पानी के बंटवारे के मुद्दे को हल करने की दिशा में आगे बढ़ने और समयबद्ध तरीके से आम सहमति प्राप्त करने के लिए फिर से बैठक कर सकती है। जेटीटी सदस्यों की पहली बैठक जल्द से जल्द और सितंबर 2022 के तीसरे सप्ताह में रांची में आयोजित करने का सुझाव दिया गया था।

कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर (एपी) के अधिकारियों की एक टीम द्वारा किया गया। यह दौरा कार्यक्रम के दौरान/बाद में प्रतिनिधियों के अध्ययन दौरे आदि के दृष्टिकोण से कार्यक्रम, तौर-तरीकों, स्थल, सुविधाओं, रसद और अन्य विवरणों के साथ-साथ आस-पास के स्थानों/सिंचाई संरचनाओं के दौरे के बारे में चर्चा के लिए किया गया था।

दौरे के पहले दिन के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग ने टीम को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोगकांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के विशिष्ट कार्यक्रम के साथ-साथ आयोजित अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग ने पूर्वानुमान के आधार पर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुमानित उपस्थिति के साथ 25वीं कांग्रेस और 75वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के लिए दिन-वार अस्थायी कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण भी दिया। दौरे के दूसरे दिन, टीम ने कार्यक्रम के दौरान/बाद में प्रतिनिधियों के अध्ययन दौरे आदि के दृष्टिकोण से बोर्ला गुफाओं, थाटीपुडी जलाशय (विजयनगरम) और अराकू घाटी का दौरा किया। टीम ने तकनीकी/अध्ययन दौरे के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की और इस बात पर सहमति हुई कि इन दौरों के आयोजन के लिए आगे की चर्चा आंध्र प्रदेश पर्यटन के साथ की जा सकती है।

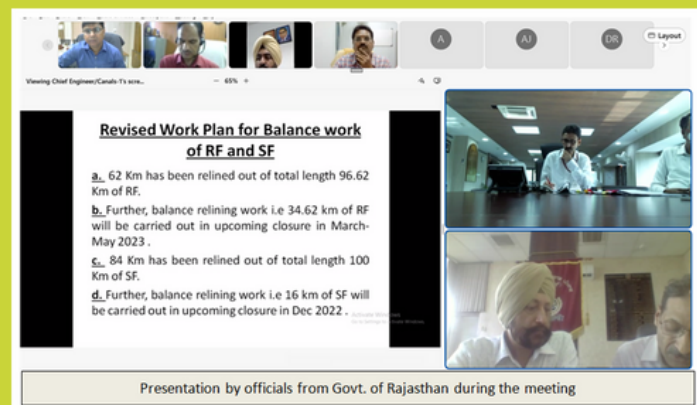
यात्रा के तीसरे दिन, टीम ने रैडिसन ब्लू रिजॉर्ट का दौरा किया और आईसीआईडी द्वारा उल्लिखित अस्थायी कार्यक्रम और समानांतर घटनाओं के मद्देनजर रिजॉर्ट में स्थान और सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन किया। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति, वैपकोस, जल संसाधन विभाग-आंध्र प्रदेश सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग सहित विभिन्न विभागों/एजेंसियों को विभिन्न कार्य सौंपे गए थे।

राजस्थान सरहिंद फीडर की पुनःअस्तरण के लिए विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति

पंजाब में आरडी 119700 से 447927 फीट तक सरहिंद फीडर और आरडी 179000 से 496000 फीट तक राजस्थान फीडर के पुनःअस्तरण परियोजना के समग्र कार्यान्वयन के मार्गदर्शन/देखरेख और कार्य प्रगति को सभी कोणों से जांचने के लिए के.ज.आ. के सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) के तहत एक विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति की चौथी बैठक 01-08-2022 को श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में कमेटी के सदस्यों अर्थात् पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, के.ज.आ. और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान पंजाब सरकार द्वारा कार्यों की स्थिति और प्रस्तावित कार्य योजना पर एक प्रस्तुति दी गई। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने प्रारंभिक वर्षों में असफल निविदाओं के कारण दोनों परियोजनाओं के विस्तार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, राजस्थान फीडर परियोजना और अन्य कारणों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 70 दिनों के बजाय 60 दिनों की बंद अवधि की अनुमति दी गई। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि राजस्थान फीडर की संशोधित अनुमानित लागत 1305.267 करोड़ रुपये के बजाय लगभग 1833.52 करोड़ रुपये होगी और सरहिंद फीडर की संशोधित अनुमानित लागत 671.478 करोड़ रुपये के बजाय लगभग 821.51 करोड़ रुपये होगी।



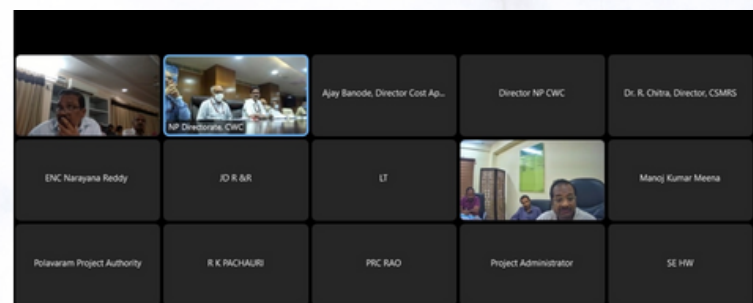
सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने निर्देश दिया कि के.ज.आ. के संशोधित अनुमानित लागत के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रोफार्मा में बढ़ी हुई लागत को उचित औचित्य के साथ दोनों परियोजनाओं के लिए व्यापक संशोधित अनुमानित लागत को आईबीओ, के.ज.आ., चंडीगढ़ के माध्यम से परियोजना मूल्यांकन संगठन, के.ज.आ. को 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, के.ज.आ. के अधिकारियों वाली एक केंद्रीय टीम प्रस्तावित अतिरिक्त संरचनाओं/पुलों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए साइट का दौरा करेगी। इसके अलावा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने निर्देश दिया कि जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार राजस्थान फीडर के संबंध में 2022-2023 (जून 2022 तक) के दौरान किए गए व्यय की प्रारंभिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए पत्र लिखेगी और राजस्थान फीडर जो पहले से ही मंत्रालय में विचाराधीन है के लिए 2022-23 के सीए प्रस्ताव को संसाधित करने हेतु उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करेगी।

+41.15 मी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना के लाभ और अन्य संबंधित मामलों के मूल्यांकन पर प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामय्या पेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। इस बहुउद्देश्यीय प्रमुख परियोजना में 4.36 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता बनाने के लिए काठी मृदा बांधों, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंगों, नेविगेशन सुरंग और चैनल और दो मुख्य नहरों के साथ एक मृदा सह प्रस्तरपूर (ईसीआरएफ) बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 960 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन, 540 गांवों को पेयजल आपूर्ति और 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में मोड़ने की भी परिकल्पना की गई है।

भौतिक और वित्तीय प्रगति

- परियोजना की कुल प्रगति (वर्क्स, एलए और आर एंड आर सहित) - 47.94% (सितंबर 2022 तक)
- स्थापना के बाद से परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय - 20,690.00 करोड़ रुपये (30/09/2022 तक)
- सितंबर 2022 तक भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को कुल 13045.148 करोड़ रुपये (एनपी के तहत) की प्रतिपूर्ति की गई श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत



सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में पोलावरम सिंचाई परियोजना(पीआईपी) +41.15 मीटर के लाभों और अन्य संबंधित मामलों के आकलन की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 08.08.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

पूर्वोक्त बैठक के दौरान, अस्वीकृत परियोजनाओं के प्रभाव को विधिवत रूप से बताने के लिए संशोधित कार्य तालिका को अंतिम रूप देने और यह सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा हुई कि क्या पूर्व में की गई परिकल्पना के अनुसार कुछ लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद, हाल के मानसून के दौरान इंपाउंडिंग क्षेत्र के जलमग्न होने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने संबंधित के.ज.आ. निदेशालय को जल्द से जल्द संशोधित कार्य तालिका की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही इस संबंध में सभी संबंधितों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक एवं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के एकीकरण के संबंध में बैठक

तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) ने जल संसाधनों के विकास के लिए अगस्त, 1980 में जल अधिशेष बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में अंतर-बेसिन जल अंतरण लिंक के माध्यम से जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की। एनपीपी के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 लिंक (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है। इनमें से एक चिह्नित लिंक पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ एकीकृत करके संशोधित किया जा रहा है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2022 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनडब्ल्यूडीए और के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की अध्ययन रिपोर्ट राजस्थान सरकार और एमपी के साथ उनकी टिप्पणियों के लिए साझा करेगा।
- के.ज.आ.चंबल बेसिन में के.ज.आ.धौलपुर साइट पर पानी की उपलब्धता की जांच करेगा, जैसा कि राजस्थान सरकार ने दावा किया है। इस संबंध में, राजस्थान जल उपलब्धता से संबंधित मुद्दे की त्वरित जांच और समाधान के लिए के.ज.आ.मुख्यालय में मामले से निपटने वाले अधिकारियों की एक टीम प्रतिनियुक्त करेगा।

शाहपुरकंडी बांध की प्रगति समीक्षा

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) रंजीत सागरबांध के 11 किलोमीटर नीचे और माधोपुर हेडवर्क्स के 8 किलोमीटर ऊपर रावी नदी पर है। इसमें 55.5 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध, नदी के बाएं किनारे के साथ 7.70 किमी लंबी हाइडल चैनल और पंजाब में शाहपुरकंडी हाइडल चैनल (बाईं ओर) तथा जम्मू-कश्मीर में रावी नहर (दाईं ओर) को पोषित करने के लिए 2 हेड रेगुलेटर निर्माण की परिकल्पना की गई है।

परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति

- मुख्य बांध में उत्खनन-94.85% और कंक्रीटिंग- 76.61%,
- पावर हाउस- 86.76% उत्खनन
- कुल व्यय - अगस्त 2022 तक 1675.88 करोड़ रुपये (शुरुआत से)

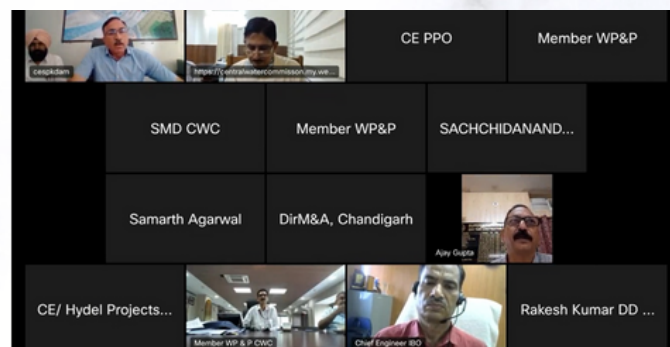
शाहपुरकंडी बांध परियोजना प्राधिकरण ने परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा को 6 महीने यानी जून, 2022 से दिसंबर, 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति की 8वीं बैठक 01.08.2022 को आयोजित की गई, जिसमें परियोजना प्राधिकरण (एसकेडीपी), जल शक्ति विभाग (जम्मू और कश्मीर सरकार), जल संसाधन विभाग (पंजाब सरकार) के प्रतिनिधियों ने

iii संबंधित राज्यों के परामर्श से के.ज.आ./राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा वैकल्पिक विकल्पों का पता लगाया जाएगा ताकि मुद्दे के एक प्रभावी और इष्टतम समाधान पर पहुंचा जा सके, जो दोनों राज्यों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी और स्वीकार्य हो।

iv.संबंधित राज्यों को अपनी व्यस्तताओं और बातचीत को बढ़ाने की जरूरत है, जो मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए दोनों राज्यों के लिए प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2022 को एक अन्य बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच के मामले को सुलझाने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- राजस्थान सरकार 3 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में चंबल नदी में गैर-मानसून अवधि के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र और पानी की उपलब्धता प्रभावित है या नहीं, यह जानने के लिए चंबल बेसिन में पानी की उपलब्धता का डेटा और आकलन प्रस्तुत कर सकती है।
- मध्य प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत उपलब्धता पर ईआरसीपी में पानी के उच्च विचलन के कारण राज्य पर संभावित प्रभाव का विवरण प्रस्तुत कर सकती है।
- के.ज.आ.बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के मद्देनजर डायवर्जन बिंदुओं पर जल विज्ञान की समीक्षा कर सकती है और राजस्थान सरकार द्वारा चंबल बेसिन में अधिशेष जल उपलब्धता पर उठाए गए सवाल पर एक नोट दे सकती है।



भाग लिया। पंजाब राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (पं.रा.वि.वि.नि.लि) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भाग लिया। बैठक के दौरान, संविदा एजेंसी द्वारा मध्यस्थता, वन्य जीव विभाग से मंजूरी और शाहपुरकंडी बांध परियोजना के संशोधित लागत प्रस्ताव जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने निर्देश दिया कि 2023 के मानसून के मौसम के दौरान जलाशय को पहली बार बंद करने के लिए परियोजना के सभी आवश्यक कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समिति के सदस्यों को दिए गए तर्कों के आधार पर, समिति ने सर्वसम्मति से शाहपुरकंडी बांध परियोजना के कैबिनेट नोट के पैरा 10 के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 6 महीने के विस्तार यानी दिसंबर 2022 तक की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी विंग), के.ज.आ. को भारतीय जल संसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया

13-08-2022 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय जल संसाधन सोसायटी की 37वीं वार्षिक आम सभा और कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (जल आयोजन और परियोजना), केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव, को 2023-2025 की अवधि के लिए भारतीय जल संसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।

आईडब्ल्यूआरएस एक सोसाइटी है जिसका मुख्यालय रुड़की (जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग, आईआईटी, रुड़की) में है और इसका कार्यकारी कार्यालय दिल्ली (सेवा भवन, केंद्रीय जल आयोग) में है। वर्तमान में, आईडब्ल्यूआरएस में 7927 आजीवन सदस्य हैं और 479 व्यक्तियों के पास आजीवन सहभागिता है। इसके अलावा, 31 संस्थानों को आईडब्ल्यूआरएस की आजीवन सदस्यता भी प्रदान की गई है।

आईडब्ल्यूआरएस की स्थापना 1980 के दशक में निम्नलिखित लक्ष्य व उद्देश्य के साथ की गई थी:

- जल संसाधनों से संबंधित भौतिक, जैविक और सामाजिक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य व्यक्तियों के लिए अनुसंधान, योजना विकास, प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ-साथ एक आम बैठक समूह की स्थापना।
- जल के संरक्षण, प्रबंधन और इष्टतम उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य करना।

बैठक में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा

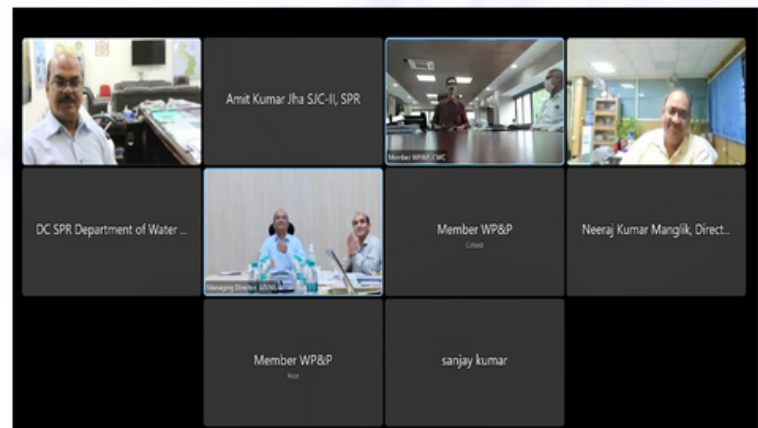
लखवार बहुउद्देशीय परियोजना में उत्तराखंड में यमुना नदी पर 330.66 एमसीएम के सजीव भंडारण के साथ 204 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 300 मेगावाट (3X100 मेगावाट) है, जो 33,780 हेक्टेयर और 78.83 एमसीएम पेयजल और औद्योगिक जल आपूर्ति सहित सिंचाई लाभ प्रदान करेगी। इस परियोजना में लखवार बांध के 13.6 किमी नीचे की ओर काटापथेर बैराज के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) द्वारा किया जाना है।

लखवार परियोजना को जुलाई 2018 (पीएल) में 5747.17 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर 11.02.2019 को आयोजित 141वीं टीएसी बैठक में स्वीकार किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 15.12.2021 को हुई अपनी बैठक में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दे दी है।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता (सीए) के प्रसंस्करण के लिए पहले से ही किए गए व्यय के लेखापरीक्षित विवरण के संबंध में श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त

- पानी की समस्याओं के व्यापक विस्तार से संबंधित विचारों और सूचनाओं के संग्रह, संगठन और प्रसार के लिए एक केंद्र बिंदु प्रदान करना।
- जल संसाधन के क्षेत्र में व्यक्तियों को उनके अग्रणी और सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित करना, उन्हें मानद आजीवन सदस्य के रूप में चुनकर या उन्हें समाज का संरक्षक बनने के लिए आमंत्रित करना।
- जल संसाधनों के विकास, उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करना, निर्णय लेना और अपने विचार व्यक्त करना और समाज के लाभ के लिए उनका समाधान करने की दिशा में काम करना।
- भारतीय जल संसाधन सोसायटी में स्थानीय केंद्र और छात्र खंड भी शामिल हैं। सोसायटी के कम से कम 50 आजीवन सदस्यों वाले स्थानों पर स्थानीय केंद्र/छात्र खंड स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में, पूरे देश में 41 स्थानीय केंद्र फैले हैं और छात्र खंड के तहत 690 छात्र हैं।

कार्यकारी समिति (ईसी) अध्यक्ष की अध्यक्षता में सोसायटी के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष का चयन जल संसाधन विकास, प्रबंधन और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों में से किया जाता है



सचिव की अध्यक्षता में 16 अगस्त, 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, केंद्रीय सहायता के लिए पात्र शेष लागत को आगे बढ़ाने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यों, स्थापना एवं अन्य प्रभारों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। स्थापना, प्रशासन और अन्य शुल्कों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में और लाभार्थी राज्यों से स्थापना लागत और जल घटक की अन्य लागत में योगदान करने का अनुरोध करने के संबंध में, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) के.ज.आ. ने कहा कि इस मामले को यूवाईआरबी के साथ उठाया जा सकता है।

जल संसाधन पर स्थायी समिति के दौरे के संदर्भ में वड़ोदरा-केवड़िया-दमन-मुंबई का दौरा

जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए जल संसाधन संसदीय स्थायी समिति ने 20 अगस्त से 26 अगस्त, 2022 तक अहमदाबाद, केवड़िया, वड़ोदरा, दमन और मुंबई का तुरंत अध्ययन दौरा किया।

केवड़िया (एकता नगर) और वड़ोदरा में जल संसाधन समिति के अध्ययन-दौरा कार्यक्रम के लिए एमटीबीओ, केंद्रीय जल आयोग, गांधीनगर को 21 अगस्त से 23 अगस्त, 2022 तक एक नोडल विभाग बनाया गया था। एमटीबीओ, केंद्रीय जल आयोग, गांधीनगर को समिति के लिए भोजनालय, आवास, परिवहन आदि सहित सभी प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं का कार्य सौंपा गया था।

21 अगस्त से 23 अगस्त, 2022 तक समिति के केवड़िया (एकता नगर) और वड़ोदरा के अध्ययन दौरे के दौरान, निम्नलिखित मुद्दों/विषयों पर बैठकें/चर्चा/प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं:-

- सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का कार्यान्वयन, जल क्षेत्र सुधार गतिविधियाँ, गुजरात राज्य में जल उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन।
- जल निकायों का अतिक्रमण और गुजरात में पीएमकेएसवाई-आरआरआर योजना का कार्यान्वयन



उक्त अध्ययन दौरे के दौरान, अध्यक्ष, के.ज.आ, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ, आयुक्त (एसपीआर), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, मुख्य अभियंता (पीएमओ), के.ज.आ, मुख्य अभियंता (डीएसओ), के.ज.आ, मुख्य अभियंता (एमटीबीओ), के.ज.आ और एमटीबीओ, के.ज.आ, गांधीनगर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने सभी तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यह कहते हुए गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 21 अगस्त से 23 अगस्त, 2022 तक समिति का केवड़िया (एकता नगर) और वड़ोदरा का अध्ययन दौरा अत्यधिक सफल रहा और इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एमटीबीओ, के.ज.आ, गांधीनगर को प्रशंसा पत्र भी भेजा था।

माननीय जल शक्ति मंत्री के कार्यालय को बांध की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्ट

बांधों पर साप्ताहिक स्थितिजन्य रिपोर्ट संकलित की जा रही है और साप्ताहिक आधार पर माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले के करम बांध में अगस्त माह में पानी का रिसाव हुआ। 11 अगस्त, 2022 को, यह बताया गया कि जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण, आरएल 296 मीटर तक पानी भर गया था और आरडी 430 मीटर पर पाइपिंग देखी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ढलान विफल हो गई। सदस्य (आपदा और लचीलापन), एनडीएसए के०ज०आ० के अन्य अधिकारियों के साथ तत्काल कार्रवाई के लिए तुरंत परियोजना स्थल पर पहुंचे ताकि

आपदा के बहाव से बचा जा सके। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट एनडीएसए द्वारा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। परियोजना प्राधिकरण ने जलाशय को खाली करने के लिए कटौती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया और तब से ढलान स्थिर है। इसके बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की एक टीम ने साइट पर अपनाई जा रही आपदा प्रबंधन प्रथाओं की निगरानी के लिए परियोजना स्थल का दौरा किया। के०ज०आ० के अधिकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दौरे वाली टीम का हिस्सा थे। रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

बांधों के निरीक्षण पर साप्ताहिक रिपोर्ट

राज्यवार किए गए बांध निरीक्षणों पर साप्ताहिक रिपोर्ट और बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) के गठन/स्थापना की रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 14.10.2022 की स्थिति तक, राज्यों द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2022 में 5334 बड़े बांधों में से 3874 बांधों का निरीक्षण किया गया

है।

बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन करना है। 14.10.2022 तक, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एससीडीएस का गठन किया है और 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसडीएसओ की स्थापना की है।

भारत-डेनमार्क सहयोग के तहत उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के संबंध में बैठक

भारत-डेनमार्क सहयोग के तहत निम्नलिखित कार्य बिंदुओं की पहचान की गई है:

(i) स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना और

(ii) पणजी में स्मार्ट सिटी लैब की तर्ज पर वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करना।

2 प्रस्तावों को तैयार करने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित करने हेतु दिसंबर, 2021 से अगस्त, 2022 के दौरान जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ और डेनमार्क के बीच बैठकों और चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।

इस संबंध में, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में 31-08-22 को स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन(एसडब्ल्यूएआरएम) के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक हाइब्रिड बैठक

आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ के अधिकारियों और डेनमार्क दूतावास और डेनमार्क सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा मुख्य रूप से भारत-डेनमार्क सहयोग के तहत साझा किए जाने वाले संसाधनों और उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जिनमें डेनमार्क सरकार के.ज.आ को सहायता प्रदान कर सकती है। बाढ़ पूर्वानुमान, नदियों की आकृति विज्ञान, बांध टूटने का विश्लेषण, जीएलओएफ (ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड), एकीकृत जल नदी प्रबंधन, बाढ़ और सूखा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मॉडलिंग और क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें दोनों पक्ष सहयोग कर सकते हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, दोनों पक्ष अधिक नियमित संचार, सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और सड़क मानचित्र को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख नोडल अधिकारी को नामित करने पर सहमत हुए।

जेएसए: सीटीआर 2022 के तहत केरल के पठानमथिता और अलप्पुझा जिले में केंद्रीय टीम का दौरा

श्री राजीव कुमार टाँक, उप निदेशक, केंद्रीय जल आयोग, जलशक्ति मंत्रालय (तकनीकी अधिकारी) के साथ डॉ. संजय कुमार, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय (केंद्रीय नोडल अधिकारी) ने जेएसए-सीटीआर से संबंधित जिले में चल रहे कार्यों और पूर्ण किए गए कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने और जल शक्ति अभियान 2022 हेतु जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए 22 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2022 तक जिला पथानामथिता, केरल और 25 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022 तक जिला अलप्पुझा, केरल का दौरा किया।

टीम ने सरकारी एचएसएस ओमलोर, जलशक्ति केंद्र में कुएं के पुनर्भरण स्थल के साथ छत पर वर्षा जल संचयन संरचना, चेन्नैरकारा पंचायत में काथी जियोटेक्सटाइल का उपयोग करके धारा का नवीनीकरण स्थल, चेन्नैरकारा पंचायत में फार्म तालाब, एडुमट्टूर पंचायत में अमृत सरोवर थेल्लियूर चिरा, जनजातीय क्षेत्र जो झरने के पानी का उपयोग कर रहे हैं, अथिक्कयम गांव में प्रस्तर निक्कुटन समोच्च रेखा बंध, पथानामथिता जिले के रानी अंगड़ी पंचायत में अमृत सरोवर के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया।

टीम ने कन्नडी, कुट्टनाड तालुक, जलशक्ति केंद्र, में गुरुत्वाकर्षण

मुल्ला पेरियार बांध पर पर्यवेक्षी समिति की अंतरिम बैठक

केरल और तमिलनाडु राज्यों में अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखते हुए, मुल्लापेरियार जलाशय में अंतर्वाह पर केरल राज्य द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी। तदनुसार मुल्ला पेरियार बांध पर पर्यवेक्षी समिति की एक अंतरिम बैठक 18 अगस्त 2022 को सेवा भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में अध्यक्ष, पर्यवेक्षी समिति और मुख्य अभियंता, डीएसओ, के.ज.आ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों राज्यों अर्थात तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार के अधिकारियों के साथ पर्यवेक्षी समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में, पर्यवेक्षी समिति की 15वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर



(ए) कॉयर जियोटेक्सटाइल द्वारा स्ट्रीम नवीकरण, (बी) फार्म तालाब, (सी) अमृत सरोवर, (डी) गुरुत्वाकर्षण आधारित प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रणाली, (ई) वर्षा जल संचयन संरचना, (एफ) अमृत सरोवर

आधारित प्राकृतिक जल शोधन प्रणाली, सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल, पुल्लिकुन्नु में वर्षा जल संचयन संरचना, थन्नैरमुक्कम पंचायत में अमृत सरोवर (वेलियाकुलम तालाब), अमृत सरोवर (पेरुमकुलम तालाब) थन्नैरमुक्कम पंचायत, अलप्पुझा जिले में एसएमएसजेएचएस, थायकातुसरी में सघन वनीकरण, थानाकुलम में पुनर्निर्मित तालाब आदि का दौरा किया।



अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा/चर्चा की गई और विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर समय-सीमा निर्धारित की गई।

श्री एस.के.शर्मा, निदेशक, तटबंध और बीसीडी (ईएंडएनई), डिजाइन के नेतृत्व में के.ज.आ. अधिकारियों के एक समूह ने 23.08.2022 से 25.08.2022 तक असम राज्य के कछार जिले में प्रस्तावित मधुरा सिंचाई परियोजना का दौरा किया।

दौरे के दौरान, के.ज.आ अधिकारियों ने जीएसआई और एनईआईडी-। अधिकारियों के साथ तीन प्रस्तावित बांध/बैराज स्थल का दौरा किया। टीम ने नहर विन्यास और संरेखण के लिए कमान क्षेत्र का भी पता लगाया। के.ज.आ के अधिकारियों द्वारा तीन प्रस्तावित स्थलों पर आवश्यक टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं। एनईआईडी-। के अधिकारियों को प्रस्तावित 13000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र को चिह्नित करने और संरचना के प्रकार और ऊंचाई को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक स्थलाकृतिक, कमान क्षेत्र सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया गया था।

देश में बाढ़ की स्थिति-अगस्त 2022

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम घाटियों में 01.05.2022 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 1 मई से 31 अगस्त 2022 की अवधि के दौरान, 6569 बाढ़ पूर्वानुमान (4070 स्तर और 2499 प्रवाह) जारी किए गए, जिनमें से 6124 (3847 स्तर और 2277 प्रवाह) पूर्वानुमान 93.22 प्रतिशत सटीकता की सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से अगस्त माह में 175 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 106 ऑरेंज बुलेटिन (बाढ़ की गंभीर स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2022 से 31.08.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश।

चरम बाढ़ की स्थिति

आठ बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र.सं	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1.	असम	नगांव	कोपिली	कामपुर	15/05/2022 16/06/2022	21/05/2022 22/06/2022
2.	बिहार	किशनगंज	महानंदा	तैयबपुर	29/06/2022	29/06/2022
3.		सुपौल	कोसी	बसुया	02/08/2022	02/08/2022
4.	तेलंगाना	भूपालपल्ली	गोदावरी	कालेश्वरम	14/07/2022	15/07/2022
5.		कुमारमभीम	वर्धा	सिरपुर(टी)	14/07/2022	17/07/2022
6.	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीताराम राजू	साबरी	चिंटुरु	15/07/2022	19/07/2022
7.	राजस्थान	करौली	चंबल	मंडेरियल	25/08/2022	25/08/2022
8.		धौलपुर	चंबल	धौलपुर	25/08/2022	26/08/2022

52 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति वाले बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र:

असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एनसीटी



दिल्ली और गुजरात राज्यों में 87 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और राजस्थान में 39 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय:

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 77 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक जल प्रवाह हुआ।

Flood Situation for the month of August 2022



"सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के अनुमान के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं" कार्य के लिए टीएआरसी की 12वीं बैठक

"सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के अनुमान के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं" कार्य के लिए टीएआरसी की 12वीं बैठक 30.08.2022 को के०ज०आ० (मुख्यालय), नई दिल्ली में मुख्य अभियंता, एचएसओ, के०ज०आ० की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अध्ययन का उद्देश्य बेसिन जलग्रहण क्षेत्र से तलछट उत्पादन, चैनलों/नदियों के माध्यम से इसके परिवहन तंत्र और बाढ़ जल प्रतिधारण संरचनाओं जैसे जलाशयों, साथ ही नदी विस्तार के रूपात्मक व्यवहार द्वारा इसके प्रतिधारण/निक्षेपण के मॉडलिंग के लिए एक पद्धति स्थापित करना था। बैठक में, सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा अंतिम रिपोर्ट में टिप्पणियों के अनुपालन पर चर्चा की गई।



पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए बैठक

11.08.2022 को एक आंतरिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने की। डॉ. आर. के. गुप्ता, अध्यक्ष के.ज.आ और श्री

जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ ने बैठक में भाग लिया। समीक्षा के दौरान पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 के तहत मसौदा नियम/विनियम बनाने के लिए उप-समिति की बैठकें

क. उप-समिति की चौथी बैठक 18.08.2022 को के०ज०आ० में मुख्य अभियंता (डीएसओ), के०ज०आ० और सदस्य (नीति और अनुसंधान), एनडीएसए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें एनसीडीएस की पहली बैठक 02.08.2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार तैयार किए जाने वाले नियमों के बारे में चर्चा की गई थी

ख. उप-समिति की पांचवीं बैठक 29.08.2022 को के०ज०आ० में मुख्य अभियंता (डीएसओ), के०ज०आ० और सदस्य (नीति और अनुसंधान), एनडीएसए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसमें संबंधित मसौदा विनियमों में परिवर्तन/संशोधन के बारे में सुझावों पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

ड्रिप के तहत आईआईटी, रुड़की और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे द्वारा विकसित किए जा रहे वेब आधारित टूल भूकंपीय खतरा आकलन सूचना प्रणाली (एसएचएआईएसवाईएस) के तकनीकी मूल्यांकन और महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित कार्य।

श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ द्वारा 4 अगस्त 2022 को 1100 बजे सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ, नई दिल्ली के

कार्यालय में आईआईटी रुड़की टीम के साथ प्रगति की समीक्षा करने और आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की गई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए बैठक

बैठक का आयोजन 03.08.2022 को के.ज.आ, नई दिल्ली में डॉ. आरके गुप्ता, अध्यक्ष के.ज.आ. की अध्यक्षता में किया गया था। डॉ. एन.के. गोयल, प्रोफेसर, जल विज्ञान विभाग, समन्वयक, बांध सुरक्षा और पुनर्वास पर एम.टेक. कार्यक्रम और उनकी टीम के साथ श्री जे.

चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर) भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल हुए।



मेडीगड्डा बैराज, तेलंगाना

रुड़की में बांध सुरक्षा से संबंधित आईआईटी रुड़की सिविल इंजीनियरिंग विभाग और भूकंप इंजीनियरिंग संकाय के साथ बातचीत

डॉ. आर. के. गुप्ता, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ, ने 29 अगस्त 2022 को आईआईटी रुड़की का दौरा किया। उन्होंने भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की भूकंपीय वेधशाला का दौरा किया और इसके बाद, सदस्य (डी एंड आर) ने हाइड्रोलिक्स प्रयोगशाला का दौरा किया। उन्होंने आईआईटी में बांध सुरक्षा और पुनर्वास पाठ्यक्रम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान, अध्यक्ष के.ज.आ ने बांध सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और वर्तमान संदर्भ में पाठ्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। सदस्य (डी एंड आर), जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद भी संभालते हैं, ने भी भारत में बांध



सुरक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता पर जोर दिया और छात्रों को बांध सुरक्षा और संबंधित अध्ययनों के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

31.08.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

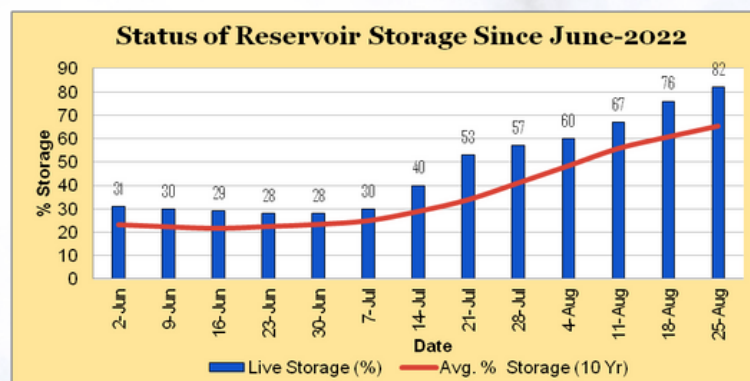
(राशि करोड़ में और विशिष्ट: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-2023	व्यय	व्यय(%)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.000	53.149	28.73%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	8.000	5.6985	71.23%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	3.3687	14.52%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	0.132	1.18%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	44.37	5.9192	13.34%

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 46 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 25.08.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 144.969 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 82 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 112.694 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के औसत सजीव भंडारण का औसत 115.811 बीसीएम था। इस



प्रकार, दिनांक 25.08.2022 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 129 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 125 प्रतिशत है।

Water Sector-News

- राज्यों में बाढ़ से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा (हिन्दुस्तान, 02.08.2022)
- राज्यसभा में मामला — पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकें, राजस्थान को उपलब्ध कराएं : मीणा (राजस्थान पत्रिका, 04.08.2022)
- जलवायु परिवर्तन से मौसम के लिए पूर्वानुमान लगाना मुश्किल : आईएमडी महानिदेशक (पायनीर, 08.08.2022)
- डेनमार्क के सहयोग से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट — गंगा, वरुणा और असि नदी को करेंगे प्रदूषणमुक्त (राजस्थान पत्रिका, 13.08.2022)
- यमुना में सात लाख गुना ज्यादा बैक्टीरिया (हिन्दुस्तान, 16.08.2022)

- गंगा और सहयोगी नदियों की स्वच्छता के लिए 30 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए : शेखावत (द पायनीर, 17.08.2022)
- भारी बारिश का दौर जारी, 12 राज्यों में बने बाढ़ के हालात (राजस्थान पत्रिका, 17.08.2022)
- सफलता की राह पर जल जीवन मिशन (दैनिक जागरण, 22.08.2022)
- पोलावरम परियोजना को लेकर पीएम से मिले रेड्डी (हिन्दुस्तान, 23.08.2022)
- भारत—बांग्लादेश में आठ नदियों के जल बंटवारे पर सहमति (दैनिक जागरण, 27.08.2022)
- डूबने की ओर अग्रसर प्रयागराज, काशी, अयोध्या नगरी (राजस्थान पत्रिका, 31.08.2022)

डेटा कॉर्नर- राज्यवार दशकीय जल स्तर में नवंबर (2011 से 2020) और नवंबर, 2021 में औसत उतार-चढ़ाव

क्रम सं.	राज्य का नाम	विश्लेषण किए गए कुओं की संख्या	वृद्धि						पतन						वृद्धि		पतन	कुएँ जिनमें कोईपरिवर्तन नहीं दिखा		
			0-2 m		2-4 m		>4 m		0-2 m		2-4 m		>4 m							
			No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
1	आंध्र प्रदेश	706	419	59.3	87	12.3	50	7.1	124	17.6	14	2.0	11	1.6	556	79	149	21	1	0
2	अरुणाचल प्रदेश	10	2	20.0	0	0.0	0	0.0	8	80.0	0	0.0	0	0.0	2	20	8	80	0	0
3	असम	167	71	42.5	3	1.8	1	0.6	83	49.7	6	3.6	3	1.8	75	45	92	55	0	0
4	बिहार	593	395	66.6	78	13.2	11	1.9	102	17.2	7	1.2	0	0.0	484	82	109	18	0	0
5	चंडीगढ़	12	4	33.3	2	16.7	1	8.3	3	25.0	1	8.3	1	8.3	7	58	5	42	0	0
6	छत्तीसगढ़	687	290	42.2	66	9.6	30	4.4	23	33.5	45	6.6	26	3.8	386	56	301	44	0	0
7	दादरा और नगर हवेली	17	15	88.2	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	15	88	2	12	0	0
8	दमन और दीव	5	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	4	80	1	20	0	0
9	दिल्ली	86	29	33.7	21	24.4	15	17.4	12	14.0	3	3.5	6	7.0	65	76	21	24	0	0
10	गोवा	68	9	13.2	0	0.0	1	1.5	52	76.5	5	7.4	1	1.5	10	15	58	85	0	0
11	गुजरात	746	278	37.3	122	16.4	112	15.0	140	18.8	50	6.7	44	5.9	512	69	234	31	0	0
12	हरियाणा	183	66	36.1	6	3.3	8	4.4	65	35.5	19	10.4	19	10.4	80	44	103	56	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	86	40	46.5	5	5.8	2	2.3	36	41.9	1	1.2	1	1.2	47	55	38	44	1	1
14	जम्मू और कश्मीर	213	100	46.9	4	1.9	3	1.4	99	46.5	4	1.9	3	1.4	107	50	106	50	0	0
15	झारखंड	198	132	66.7	17	8.6	1	0.5	45	22.7	3	1.5	0	0.0	150	76	48	24	0	0
16	कर्नाटक	1290	709	55.0	265	20.5	123	9.5	159	12.3	20	1.6	14	1.1	1097	85	193	15	0	0
17	केरल	1304	868	66.6	145	11.1	39	3.0	227	17.4	17	1.3	8	0.6	1052	81	252	19	0	0
18	मध्य प्रदेश	1297	590	45.5	164	12.6	97	7.5	345	26.6	70	5.4	31	2.4	851	66	446	34	0	0
19	महाराष्ट्र	1727	856	49.6	321	18.6	161	9.3	317	18.4	47	2.7	24	1.4	1338	77	388	22	1	0
20	मेघालय	24	10	41.7	1	4.2	0	0.0	13	54.2	0	0.0	0	0.0	11	46	13	54	0	0
21	नागालैंड	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50	1	50	0	0
22	ओडिशा	1245	650	52.2	32	2.6	2	0.2	517	41.5	35	2.8	8	0.6	684	55	560	45	1	0
23	पांडिचेरी	6	3	50.0	1	16.7	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	4	67	2	33	0	0
24	पंजाब	176	46	26.1	7	4.0	1	0.6	74	42.0	38	21.6	10	5.7	54	31	122	69	0	0
25	राजस्थान	918	248	27.0	80	8.7	44	4.8	290	31.6	114	12.4	141	15.4	372	41	545	59	1	0
26	तमिलनाडु	538	201	37.4	146	27.1	113	21.0	54	10.0	13	2.4	11	2.0	460	86	78	14	0	0
27	तेलंगाना	537	203	37.8	114	21.2	133	24.8	73	13.6	5	0.9	9	1.7	450	84	87	16	0	0
28	त्रिपुरा	22	8	36.4	0	0.0	0	0.0	11	50.0	3	13.6	0	0.0	8	36	14	64	0	0
29	उत्तरप्रदेश	646	358	55.4	102	15.8	21	3.3	118	18.3	32	5.0	15	2.3	481	74	165	26	0	0
30	उत्तराखंड	45	23	51.1	3	6.7	2	4.4	9	20.0	4	8.9	4	8.9	28	62	17	38	0	0
31	पश्चिम बंगाल	721	417	57.8	87	12.1	34	4.7	117	16.2	34	4.7	31	4.3	538	75	182	25	1	0
कुल	14275	7043	49.3	1880	13.2	1006	7.0	3328	23.3	591	4.1	421	2.9	9929	70	4340	30	6	0	

अगस्त-2022 के दौरान एन डब्ल्यूए, पुणे द्वारा वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति की 54वीं बैठक प्रशिक्षण गतिविधि

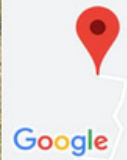
क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या प्रति पाठ्यक्रम	श्रेणी
1	ई-जेम के माध्यम से खरीद	11-12 अगस्त 22	219	तकनीकी
2.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	22-26 अगस्त 22	29	गैर-तकनीकी
3.	एनएमसीजी के तत्वावधान में जीआईजेड, भारत के साथ नदी बेसिन प्रबंधन चक्र प्रशिक्षण (आईडब्ल्यूपी के तहत)	29 अगस्त - 02 सितंबर 22	24	तकनीकी

बैठक की तिथि	08.08.2022
कुल मामलों पर विचार किया गया	03
वाणिज्यिक मामले	01
गैर वाणिज्यिक	02
समिति द्वारा अनुमोदित मामलों की संख्या	03

गैलरी/आज़ादी का अमृत महोत्सव



एस एंड आई के लिए सीडब्ल्यूसी और आईडब्ल्यूआरडी, यूपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और ई इन-सी, आईडब्ल्यूआरडी, यूपी की उपस्थिति में पंचनाद परियोजना की डीपीआर तैयार करना।



Masidbera, West Bengal, India

XPP5+GM6, Masidbera, West Bengal 712611, India

Lat 22.984236°

Long 87.707855°

05/08/22 03:07 PM

केंद्रीय दल में श्री संजय कुमार जैन, संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय (केंद्रीय नोडल अधिकारी) और श्री वरिद गुप्ता, सहायक निदेशक, केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय (तकनीकी अधिकारी) ने जल शक्ति अभियान 2022 के लिए बिहार में पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिलों का दौरा किया।

स्वतंत्रता दिवस/हर हाथ तिरंगा अभियान



इतिहास- गिरना परियोजना

गिरना नदी नासिक जिले में सह्याद्री पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों से निकलती है। नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक और पूर्वी खानदेश जिलों से होकर बहती है और अंत में तापी नदी में मिल जाती है।

मूल कार्यक्रम

1955 में तैयार की गई मूल गिरना परियोजना में 311 मिलियन घन मीटर (11,000 मिलियन घन फीट) के सकल भंडारण और बांध से सीधे बाएं किनारे पर एक नहर के साथ पंजान में गिरना नदी पर एक चिनाई बांध बनाने का प्रस्ताव था इस नहर की लंबाई 93 किमी (58 मील) थी, जिसमें आरक्षित वनों को छोड़कर 59,730 हेक्टेयर (1,47,597 एकड़) का सकल कमान क्षेत्र था। नहर को पहले कई मील में एक कठिन इलाके से गुजरना पड़ता था जिसके लिए ऊंचे किनारे और तटबंध और एक सुरंग की आवश्यकता होती थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 907 लाख रुपये थी और इसे केंद्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इस नदी के जल विज्ञान, कमान, सिंचाई और मिट्टी की स्थिति आदि के हमारे विस्तृत अध्ययन के बाद, परियोजना की अवधारणा को मौलिक रूप से बदलने के लिए यह वांछनीय पाया गया।

संशोधित प्रस्ताव

संशोधित परियोजना में उपलब्ध निर्भर उपज का उपयोग करने के लिए बांध की भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि की गई थी। बाएं किनारे पर सीधी नहर को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसे बहुत महंगा माना जाता था और कई क्षेत्रों में बहुत उथली मिट्टी के साथ अनुपयुक्त भूमि थी। इसके बजाय, निचली नदी पर दो उच्चयन वियर से नहर प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। ऊपरी नहर प्रणाली के लिए मौजूदा जामदा नहरों को फिर से तैयार करने और उन्हें बारहमासी बनाने का प्रस्ताव था। दहिगाँव में निचली नहर पूर्व-उच्चयन वियर को पूरी तरह से नए कार्य के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल और क्रियान्वित की जा रही गिरना परियोजना में शामिल हैं:

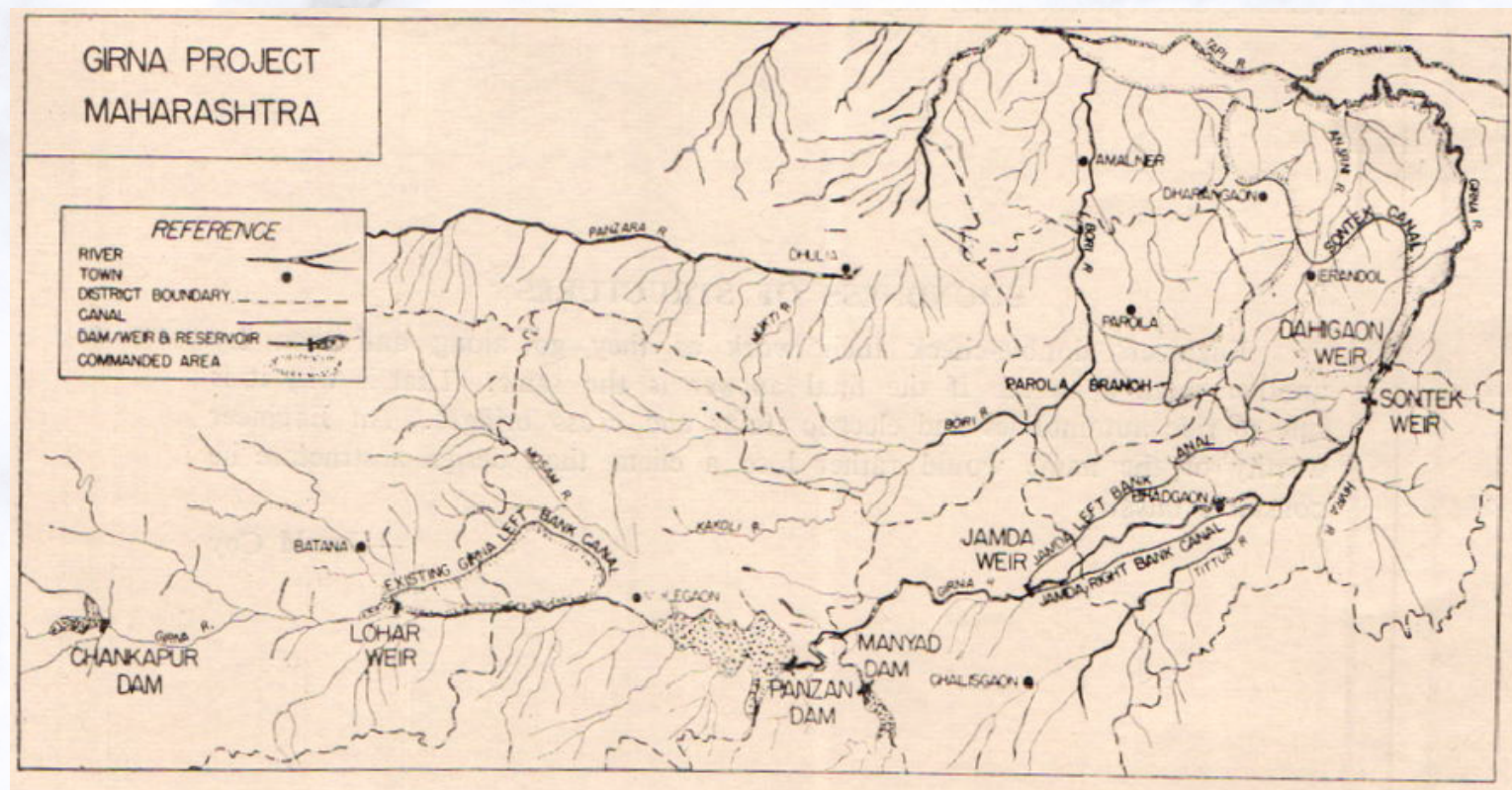
- (क) 680 मिलियन घन मीटर (24,000 मिलियन घन फीट) पानी का सकल भंडारण रखने के लिए नासिक जिले के पंजान में एक भंडारण बांध;
- (ख) पंजन बांध के अनुप्रवाह में गिरना की एक उप-नदी- मान्याड नदी पर लगभग 42 मिलियन घन मीटर (1,500 मिलियन घन फीट) का भंडारण
- (ग) जामदा में एक नए वियर का निर्माण मौजूदा पुराने वियर के बिल्कुल नीचे की ओर;
- (घ) जामदा बाएँ तटबंध नहर प्रणाली का पुनर्निर्माण और विस्तार;
- (ङ) जामदा वियर के डाउनस्ट्रीम 64 किमी (40 मील) दहिगाँव में एक वियर; और
- (च) दहिगाँव वियर से वितरण प्रणाली के साथ लगभग 64 किमी (40 मील) लंबी बाईं तटबंध नहर।

पंजन बांध

पंजन बांध सबसे गहरे नींव स्तर से 43 मीटर (140 फीट) ऊंचा एक मृदा-सह-चिनाई वाला बांध है। बांध 427 मीटर (1400 फीट) लंबे मिट्टी के तटबंध द्वारा बाईं ओर से घिरा हुआ है, जहां उथली गहराई पर दृढ़ चट्टान उपलब्ध है और दाईं ओर 549 मीटर (1,800 फीट) लंबे मिट्टी के तटबंध हैं, जहां चट्टान गहरी है।

उत्प्लाव मार्ग

उत्प्लाव मार्ग चिनाई वाले हिस्से में स्थित है और इसे प्रति सेकंड 8.438 घन मीटर (298,000 घन फीट) के अधिकतम बाढ़ निर्वहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 8 मीटर (27 फीट) के बाढ़ उत्थापक के लिए एक ओगी शिखर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें 12.5 मीटर x 6.4 मीटर (41 फीट x 21 फीट) आकार के 14 टेंटर फाटक होंगे।



मृदा बांध

मृदा बांध नदी के तल में 6 से 12 मीटर (20 से 40 फीट) गहरे रेत के जमाव पर और दाहिने किनारे पर गाद और लेंटिकुलर रेत के 24 मीटर (80 फीट) मोटे जमाव पर सबसे निचले नदी तल स्तर से 40.5 (133 फीट) ऊंचा है। अतः लगभग 183 मीटर (600 फीट) की लंबाई में केवल आंशिक रिसनरोक ही प्रदान किया गया है।

इस आंशिक रिसनरोक के तल के नीचे 4.6 से 6.1 मीटर (15 से 20 फीट) मोटाई के पिछले जमाओं को पारगम्यता की सुरक्षित सीमा तक कम करने के लिए उपयुक्त अनुपात में बेंटोनाइट और सीमेंट के मिश्रण से स्फीति के प्रकार का अभिपूरण करने का प्रस्ताव है ताकि नींव के द्वारा पाइपन के खतरे को खत्म किया जा सके।

जामदा उच्चयन वियर

जामदा में 2.4 मीटर (8 फीट) चौड़ाई और 3.7 मीटर * 12 फीट) औसत ऊंचाई के आयताकार खंड के साथ एक वियर पहले से ही मौजूद है। यह शैल दृश्यांश पर एक टेढ़े-मेढ़े संरेखण में है। नींव की अतिरिक्त चौड़ाई के लिए मौजूदा खंड को सुदृढ़ करने में वर्तमान वियर के नजदीक चट्टान फटने का खतरा था और पुराने के साथ नई चिनाई को जोड़ने में कठिनाई थी। इसके अलावा यह लगभग एक नए वीयर के जितना ही महंगा पाया गया। इसलिए वर्तमान वियर के ठीक नीचे सीधे संरेखण के साथ और नदी के मार्ग के सीध में एक नया वियर प्रदान किया गया है। यह वियर 347 मीटर (1,140 फीट) लंबा और 7 मीटर (23 फीट) ऊंचा (अधिकतम) होगा जिससे 9,712 घन मीटर (343,000 घन फीट) प्रति सेकंड बाढ़ का पानी निकल सकेगा।

जामदा नहर प्रणाली

7.1 घन मीटर (250 घन फीट) प्रति सेकंड की वहन क्षमता वाली मौजूदा जामदा बाईं तटबंध नहर को 17 घन मीटर (595 घन फीट) प्रति सेकंड ले जाने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है और लंबाई 13 किमी (8 मील) तक बढ़ाई जा रही है। - यानी नहर की लंबाई 43 से बढ़ाकर 56 किमी (27 से 35 मील) कर दी जाएगी। बढ़ी कमान के तहत आने वाली जमीनों की सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली का भी विस्तार किया जा रहा है। पुनर्निर्मित नहर 41,480 हेक्टेयर (102,500 एकड़) के सकल क्षेत्र को नियंत्रित करने और सालाना 18,656 हेक्टेयर (46,100 एकड़) सिंचाई करने में सक्षम होगी। मौजूदा जामदा बाईं तटबंध नहर लगभग 12,545 हेक्टेयर (31,000 एकड़) के क्षेत्र के लिए मौसमी सिंचाई के साथ 28,733 हेक्टेयर (71,000 एकड़) के सकल कमान क्षेत्र को संभाल रही थी।

मौजूदा जामदा दाईं तटबंध नहर 18 किमी (11 मील) लंबी है और शीर्ष पर प्रति सेकंड 3 घन मीटर (105 घन फीट) की वहन क्षमता है। वितरण प्रणाली में कुछ सुधारों को छोड़कर इस नहर पर कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। इन सुधारों के बाद यह नहर 7,284

हेक्टेयर (18,000 एकड़) के सकल कमान क्षेत्र में से 3,642 हेक्टेयर (9,000 एकड़) क्षेत्र की सिंचाई करेगी। इस नहर के नीचे सिंचाई भी जामदा बाईं तटबंध नहर की तरह ही बारहमासी पैटर्न की है। दाएं और बाएं किनारे की नहरें नए वियर के दोनों किनारों पर प्रमुख नियामकों से जुड़ी हैं।

दहिगांव वियर

अन्य उच्चयन वियर जामदा के 64 किमी (40 मील) अनुप्रवाह दहिगांव में होगा। स्वीकृत परियोजना में इस बांध का स्थान सोनटेक गांव के बिल्कुल पास था। बांध 390 मीटर (1,280 फीट) लंबा और 9.8 मीटर (32 फीट) ऊंचा है और 6.7 मीटर (22 फीट) की ऊंचाई पर 11,412 घन मीटर (403,000 घन फीट) प्रति सेकंड का चरम निर्वहन करेगा।

बाईं तटबंध नहर

बाएँ किनारे की नहर 64 किमी (49 मील) लंबी होगी और शीर्ष पर प्रति सेकंड 21 घन मीटर (735 घन फीट) का अधिकतम निर्वहन करेगी। नहर का कुल कमान क्षेत्र 57,796 हेक्टेयर (142,820 एकड़) है, जिसमें से सालाना 34,803 हेक्टेयर (86,000 एकड़) की सिंचाई का प्रस्ताव है। कमान को दो क्षेत्र में बांटा गया है, बारहमासी और गैर-बारहमासी। बारहमासी क्षेत्र नहर की शुरुआत में स्थित है जो जामदा नहर प्रणाली के समान फसल पैटर्न के साथ 16,997 हेक्टेयर (42,000 एकड़) की वार्षिक सिंचाई करता है। गैर-बारहमासी क्षेत्र दो मौसमी फसलों के लिए 17,806 हेक्टेयर (44,000 एकड़) की वार्षिक सिंचाई के साथ कमान के पिछले हिस्से में स्थित है।

निर्माण प्रगति

पंजन बांध के चिनाई वाले हिस्से का निर्माण 1959 की शुरुआत में शुरू किया गया था।

जामदा वियर का काम 1960 की शुरुआत में पहले ही अनुबंध पर दिया जा चुका है और वियर और नए नियामकों के जल्द तैयार होने की उम्मीद है।

दहिगांव वियर का काम भी 1960 की शुरुआत में ठेके पर दे दिया गया था और उम्मीद है कि बांध और मुख्य नियामक भी शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे। वितरण प्रणाली वाली इस नहर के पहले 29 किमी (18 मील) का काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। नहर के शेष भाग 29 से 64 किमी (मील 18 से 40 मील) और वितरण प्रणाली का कार्य जून 1963 तक पूरा कर लिया जाएगा।

लाभ

परियोजना की लागत 8.65 करोड़ रुपये आंकी गई थी। नए आंकड़ों के मुताबिक लागत करीब 12.55 करोड़ रुपये तक जाने की उम्मीद है। यह परियोजना पूरी होने पर महाराष्ट्र के पूर्वी खानदेश जिले के चालीसगाँव, भदगाँव, परोला, एरंडोल और अमलनेर तालुका में 57,500 हेक्टेयर (142,000 एकड़) की सिंचाई करेगी।

(स्रोत: भागीरथ नवंबर 1961)

**केंद्रीय जल आयोग**

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथकर, मुख्य अभियंता (पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक (टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक (डब्ल्यूपीएडपी-सी) - सदस्य
 - श्री अर्जुन कुमार मधोक, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
 - श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
 - श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in